

पुलिस कर्मियों के कल्याण के संबंध में।

Content

Time: 90 min

1. स्थाई आदेश संख्या 24/2018 क्रमांक 5860 दिनांक 15.10.2018
2. सेवा के दौरान मृत्यु पर देय परिलाभ का विवरण, क्रमांक 2491 दिनांक 04.05.2018
3. सेवानिवृत्ति पर देय परिलाभ का विवरण, क्रमांक 2490 दिनांक 04.05.2018
4. पट्रोल भत्ता बाबत परिपत्र, क्रमांक 371 दिनांक 15.01.2019

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-व.15(14)आ.एवंक./वेलफेयर/95/पार्ट-2/ 5860 दिनांक:-15/10/18

स्थायी आदेश संख्या 24/2018

राज्य सरकार तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिसकर्मियों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। जिनमें पुलिसकर्मियों को सेवाकाल, सेवानिवृत्ति तथा सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर विभिन्न परिलाभ प्रदान किये जाते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिजनों को देय समस्त परिलाभ नियत समयावधि में उपलब्ध हों। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समस्त जिला/ यूनिट्स में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को 'कल्याण अधिकारी' नियुक्त किया जाता है जो निम्न कार्यों के सम्पादन हेतु उत्तरदायी होंगे-

1. सेवानिवृत्ति अथवा सेवा के दौरान मृत्यु पर देय समस्त परिलाभों का शीघ्र भुगतान। (आदेश क्रमांक 2490 एवं 2491 दिनांक 04.05.18)
2. चोटग्रस्त/रोगग्रस्त कर्मचारियों को शीघ्र उपचार सुलभ कराना। (स्थायी आदेश संख्या 01/2018 दिनांक 03.04.2018)
3. छत्रवृत्ति के प्रकरणों को शीघ्र तैयार कराकर प्रेषित करना।
4. खेलकूद एवं मनोरंजन गतिविधियों को बढ़ावा।
5. नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।
6. नियमित सम्पर्क सभा एवं आवश्यकतानुसार सम्पर्क।
7. कल्याणकारी योजनाएँ बनाकर लागू करना।
8. गम्भीर बीमारियों के दावा प्रकरणों का निस्तारण।
9. पुलिस सैलेरी पैकेज के अन्तर्गत दावों का निस्तारण।
10. मेडिकलेम पॉलिसी के अन्तर्गत दावों का निस्तारण।

विभिन्न जिला/यूनिटों में निम्न पुलिस अधिकारी पदेन 'कल्याण अधिकारी' होंगे-

पुलिस कमिश्नरेट जिलों में	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जिलामुख्यालयपर पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो संस्थापन शाखा का कार्य देख रहे हैं।
बटालियन में, प्रशिक्षण केन्द्र, एस.डी.आर.एफ.	द्वितीय वरिष्ठतम अधिकारी
अपराध शाखा	पुलिस अधीक्षक (प्रशासन एवं पी.आर.सी.)
राज्य विशेष शाखा	पुलिस अधीक्षक, एस.एस.बी.
एस.सी.आर.बी.	पुलिस अधीक्षक, एस.सी.आर.बी.
ए.टी.एस., एस.ओ.जी.	पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस.

